Residence of the Indian Ambassador to UNO at Geneva

*33. DR. NAUNIHAL SINGH:
SHRIMATI KAMLA SINHA:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government bought a large property in Geneva for about six million francs (approximately rupees 12 crores) in August 1989 for the residence of Indian Ambassador;

(b) if so, whether it has ever been occupied by any Indian Ambassador since then and if so, the details thereof;

(c) whether Government are aware that it is a waste of money when the country is facing financial crisis;

(d) if so, whether Government are considering to sell this house to reclaim the huge amount of sunken precious foreign exchange; and

(e) if so, what are the plans of Government in this regard?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI DINESH SINGH): (a) to (e) Government acquired a property at 6 Rue de Pregny in Geneva costing Swiss France 6.3 million equivalent to Indian Rupees 6.19 crores in August 1989, intended to be used for relocating from rented premises the Permanent Mission of India in Geneva. At the time of acquiring this property, Government had taken into consideration the location of other Diplomatic Offices representing the UN, ILO, WHO, ITU, WIPO, the Red Cross and Diplomatic Missions of the USA, the then USSR and Kuwait and expected that necessary permission for using this property as Diplomatic Mission would be forthcoming.

The Government have approached the local Geneva Canton authorities and the Swiss Federal Government in Berne at various levels but have not received the necessary permission for use of the property as office premises. The alternative option of occupying the property for the residence of the Permanent Representative of India to the UN Offices in Geneva was considered but it was found that this would require extensive modification and renovation which would have involved heavy expenditure. In view of this, the option of selling the property is under Government's consideration.

Bifurcation of the ONGC

*34. SHRI SURESH KALMADI:
SHRI SHANTI TYAGI:

Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government has cleared a proposal for converting the statutory Oil and Natural Gas Commission into a public limited company; and

(b) if so, what are the reasons therefor and the details of the new set-up?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPT. SATISH SHARMA): (a) Yes, Sir.

(b) This will facilitate amongst other things greater flexibility to the organisation in raising resources from the capital market and easier structural adjustments in response to needs. The new set up will be a Board managed company registered under the Companies Act, 1956.

पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों को परेशान किया जाना

*35. श्री महेन्द्र सिंह लाठर :
श्री अनन्त राम जायसवाल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जनवरी 1993 के दैनिक जागरण में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों को बदले की भावना से झूठे मामलों में फंसा कर पकड़ लिया जाता है और उन्हें पुलिस हिरासत में परेशान किया जाता है ;

(ख) क्या सरकार ने इन ज्यादतियों के संबंध में कोई जांच करवाई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसी ज्यादती करने और अपनी ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने के लिए पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) समाचार में उल्लिखित विशिष्ट घटना की, पूर्वी जिले के सतर्कता एकक द्वारा जांच की गयी थी ।

(ग) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि जांच से यह बात साबित नहीं हुई है कि स्थानीय पुलिस द्वारा किसी प्रकार की धोखाधड़ी की गई ।

बम्बई में दंगे

*36. **श्री राम नरेश यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई और गुजरात राज्यों में दंगों के कारण मरने वालों की कुल संख्या कितनी है और प्रत्येक राज्य में कितने व्यक्ति हताहत हुए ;

(ख) इन दंगों पर लंबे समय तक काबू न पाये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) भविष्य में ऐसे दंगों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या उपाय किये गये हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, गुजरात में 369 व्यक्तियों और महाराष्ट्र में 841 व्यक्तियों की मौतें हुई जिनमें बम्बई में मरे 781 व्यक्ति शामिल हैं । प्रत्येक राज्य में हताहतों की संख्या से संबंधित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है (नीचे देखिए) ।

(ख) और (ग) गुजरात और महाराष्ट्र राज्य सरकारों ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन जांच आयोग गठित किए हैं । महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित जांच आयोग, दिसम्बर, 1992 और जनवरी, 1993 के दौरान बम्बई पुलिस कमिश्नर के क्षेत्राधिकार में हुए दंगों के संबंध में है । आयोग का काम, अपने विचारार्थ विषयों के अनुसार, किए गए एहतियाती और निदारात्मक उपायों की पर्याप्तता अथवा अन्यथा की जांच पड़ताल करना, पुलिस द्वारा की गई गोली-बारी के औचित्य सहित दंगों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा किए गए उपायों की पर्याप्तता की जांच पड़ताल करना ; तथा घटनाओं के लिए किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के दल अथवा किसी संगठन की जिम्मेदारी अथवा अन्यथा की जांच करना है । आयोग का यह भी काम है कि वह ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकथाम करने और साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए दीर्घकालीन अथवा अल्पकालीन उपायों के लिए सुझाव देगा । गुजरात में गठित जांच आयोग हिंसक घटनाओं के होने और उनके कारणों कानून और व्यवस्था तंत्र द्वारा किए गए उपायों की पर्याप्तता तथा पुलिस कर्मचारियों द्वारा की गई कार्रवाई की अपर्याप्तता सहित सभी प्रकार की चूकों की जांच पड़ताल करेगा । दोनों आयोगों को अपनी-अपनी रिपोर्ट छः माह के भीतर प्रस्तुत करनी होगी ।

गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, अत्यधिक संवेदनशील और संवेदनशील क्षेत्रों के लाइसेंसधारियों को अपने शस्त्र पुलिस स्टेशनों में जमा करवाने, अवैध शस्त्रों और विस्फोटक सामग्री का पता लगाने के लिए गहन तलाशी अभियान चलाये जाने, अन्तर्राष्ट्रीय